रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15072022-237315
CG-MH-E-15072022-237315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
No. 358] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

अधिसूचना

मुंबई, 4 जुलाई, 2022

संदर्भः यूटीआई/एचडी/डीओएफए/एसयूयूटीआई-गज़ट/22-23.—यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक की विभिन्न योजनाओं का तुलन पत्र और राजस्व लेखा तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट(उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम 2002 की धारा 21(4) के अनुसार प्रकाशित किए गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
प्रशासक
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

विचार

हमने **भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम(एसयूयूटीआई)** के संलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है जिसमें यथा 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र एवं उक्त समाप्त वर्ष की राजस्व लेखा एवं वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां शामिल हैं तथा साथ ही इसमें महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसियों के सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाओं को भी शामिल किया गया है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुरूप, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, यथा 31 मार्च, 2022, एसयूयूटीआई की गतिविधियों की दशा एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु उनके राजस्व लेखा की सूचना, भारतीय यूनिट ट्रस्ट(उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम 2002 (जिसे आगे से अधिनिचम कहा जाएगा) की आवश्यकताओं और आवश्यक प्रारूप के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सही एवं उचित चित्र दर्शाती हैः

विचार का आधार

हमने, भारत की सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की है। उक्त मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का और अधिक विवरण, हमारे रिपोर्ट की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों के अधीन स्पष्टीकृत है। भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के तहत, वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, हम एसयूयूटीआई से स्वतंत्र हैं तथा हमने उक्त आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, पर्याप्त हैं तथा हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन, उक्त वित्तीय विवरणियां जो भारत में, सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हैं, जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानकों, जो गैर कार्पोरेट इकाइयों पर लागू होते हैं, भी शामिल हैं, के अनुसार एसयूयूटीआई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सही एवं उचित चित्र दर्शाते हैं। उक्त दायित्व में, एसयूयूटीआई की आस्तियों की सुरक्षा एवं छलकपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु 'भारतीय यूनिट ट्रस्ट'(उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002(जिसे आगे से 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार लेखा के पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव, लेखा की उपयुक्त पॉलिसियों का चयन एवं प्रयोग, यथोचित एवं विवेकशील निर्णय तथा आकलन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रचना, कार्यान्यवयन एवं रखरखाव जो लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं, भी शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति के प्रासंगिक हैं तथा सही एवं साफ चित्र दर्शाते हैं और विषय की गलत बयानी से, चाहे छलकपट से अथवा त्रुटि से, मुक्त हैं।

उपरोक्त अधिनियम के निर्देशन के तहत, प्रबंधन, अविरत आधार पर वित्तीय विवरणियां तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है।

प्रबंधन, एसयूयूटीआई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जांच करने हेतु भी उत्तरदायी होता है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, चाहे छलकपट से अथवा त्रुटि से क्या क्या हमारी वित्तीय विवरणियों संपूर्ण रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार को शामिल किया गया है। उचित आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि एस ए के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा द्वारा हमेशा भोतिक गलतबयानी के विद्यमान होने पर उसकी पहचान की जाएगी। गलतबयानी, छलकपट अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, तथा उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, उक्त गलतबयानी से, वैयक्तिक अथवा औसतन रूप से, प्रयोगकर्ताओं द्वारा उक्त वित्तीय विवणियों के आधार पर लिए गए निर्णयों को उपयुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जाए।

लेखापरीक्षा की मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक अंश के रूप में, लेखापरीक्षा की संपूर्ण अवधि के दौरान, हमारे द्वारा लिए गए फैसले, व्यावसायिक होते हैं तथा हम व्यावसायिक संशयवाद को भी कायम रखते हैं। साथ ही हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई भी की जाती हैः

- छल-कपट अथवा त्रुटि के कारण एकल वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण गलतबयानी की जोखिमों की पहचान एवं आकलन, उक्त जोखिमों के प्रति क्रियाशील लेखारपरीक्षा पद्धतियों की रचना एवं निष्पादन, और साथ ही हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। त्रुटि की अपेक्षा, छलकपट के

परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी को न पहचान पाने का जोखिम उच्चतम होता है क्योंकि छलकपट में मिलीभगत, धोखाधड़ी, जानबूझकर छूट, गलतबयानी, अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल होता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि उक्त परिस्थितियों में लेखापरीक्षा की उपयुक्त पद्धतियों की रचना की जा सके। साथ ही, एसयूयूटीआई में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त एवं उपस्थित है या नहीं, से संबंधित जानकारी एवं उक्त नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता सटीक हौ या नहीं की जानकारी प्राप्त करना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है।
- प्रयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमान तथा संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगता का मूल्यांकन।
- प्रबंधन द्वारा कंपनी के वित्तीय रूप से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर होने तथा निकट भविष्य में अपने व्यवसाय को जारी रखने के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, यह पता लगाना कि लेखापरीक्षा के संबध में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, ऐसी घटनाओं अथवा शर्तों के संबंध में, क्या किसी प्रकार की भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कि एसयूयूटीआई द्वारा वित्तीय रूप से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर होने तथा निकट भविष्य में अपने व्यवसाय को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख करते हुए उस पर ध्यान आकर्षित करना होगा, अथवा यदि उक्त प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो हमें हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष, उमारी लेखापरीक्षा की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण एसयूयूटीआई, वित्तीय रूप से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर होने तथा निकट भविष्य में अपने व्यवसाय को जारी रखने में असमर्थ हो सकता है।
- एकल वित्तीय विवरणियों की संपूण प्रस्तुति, ढांचा तथा विषयवस्तु का मूल्यांकन जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल होते हैं, एवं यह स्पष्ट करना की एकल वित्तीय विवरणियां क्या इस प्रकार से आधारभूत लेनदेन एवं घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त किया जा सके।

एकल वित्तीय विवरणियों में महत्ता, गलतबयानियों का परिमाण होता है, जो वैयक्तिक अथवा समुदित रूप से, यह संभावना उत्पन्न करता है कि वित्तीय विवरणियों के यथोचित ज्ञानवर्धक प्रयोक्ता की आर्थिक निर्णय को भी प्रभावित किया जा सकता है। हम, (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के परिणाम की मूल्यांकन के दायरे की आयोजना में, तथा (ii) वित्तीय विवरणियां में पहचानी गई गलत विवरणियों के प्रभाव को मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर ध्यान देते हैं।

हम प्रशासन के उत्तरदाइयों को, अन्य विषयों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा का नियोजित दायरा एवं लेखापरीक्षा का समय तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष की जानकारी प्रदान करते हैं जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में उपस्थित महत्वपूर्ण कमियों को भी शामिल किया जाता है।

हम, प्रशासन के उत्तरदाइयों को, ऐसी विवरणी भी प्रस्तुत करते हें जिसमें यह उल्लिखित होता है कि हमने स्वावलंबन के संबंध में तथा सभी प्रकार के संबंधों एवं अन्य विषयों, जो भी हमारी स्वावलंबन पर उपयुक्त रूप से प्रभावी हो सकते हैं, की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, और जहाँ भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

प्रशासन के उत्तरदाइयों को संप्रेषित विषयों में से हम वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों को निर्णीत करते हैं, अतः वह लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय होते हैं। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हम उक्त विषयों का वर्णन करते हैं बशर्ते कि कानून अथवा विनियमन उक्त विषय को जनता के समक्ष प्रकटीकरण को बहिष्कृत करता हो अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितयों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि, किसी विशिष्ट विषय को हमारी रिपोर्ट के ज़रिए संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा किए जाने पर, इसके प्रतिकूल परिणाम, जनहित के विरुद्ध हो सकते हैं।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुरूप हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारे विचार में, कानूनी आवश्यकतानुसार, बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि अब तक लेखा संबंधी उचित बहियां संयोजित कर रखी गई हैं।

ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।

घ. हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, भारत में सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी गैर कार्पोरेट इकाइयों हेतु लागू लेखा मानकों का अनुसरण करती हैं;

कृते जी.डी. आपटे & कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजीकरण संख्या. 100515W

चेतन आर सप्रे
भागीदार
सदस्यता संख्याः 116952
यूडीआईएन संख्याः 22116952AHXPXM9835

मुंबई
25 अप्रैल, 2022

<u>भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम</u>

<u>महत्वपूर्ण लेखा नीतियां</u>

<u>क. आय निर्धारण</u>

I लाभांश आय निम्नलिखित आधार पर निर्धारित मानी जाती हैः

क. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, "लाभांश रहित" तारीख को प्रोद्भूत होती है।

ख. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, घोषणा की तारीख को प्रोद्भूत होती है।

ग. अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश आय, प्राप्ति की तारीख को प्रोद्भूत होती है।

II. डिबेंचर एवं अन्य नियत आय वाले निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है।

III. निवेशों की बिक्री से होनी वाली लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

IV. यूनिट योजना 1964 बॉण्ड, जिसके अंतर्गत अचल आस्तियां हैं, यूटीआई एएमसी लि. द्वारा उपरोक्त आस्तियों के प्रयोगार्थ न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित आपसी सहमति आधार पर सेवा प्रभार वसूल करता है।

ख. यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

यूएस 64 के संबंध में, जहाँ यूनिटें भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर पुनर्खरीद की जा रही हों तो प्रीमियम को यूनिट-प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। जब कभी यूएस 64 की यूनिटें, शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित मूल्यों के अंतर्गत पुनर्खरीद की जाती हैं तो बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।

ग. व्यय

यह, प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

घ. निवेश

i. निवेश लागत अथवा घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।

ii. द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री को व्यापार की तारीख को हिसाब में लिया जाता है।

iii. निवेश की लागत में दलाली, सेवा-कर एवं डाक प्रभार शामिल हें।

iv. प्राथमिक बाजार में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

v. अधिकार पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण "अधिकार रहित" तारीख को किया जाता है।

vi. बोनस पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण, "बोनस रहित" तारीख को किया जाता है।

vii. डिबेंचर/बॉण्ड, ऋणों एवं जमाराशियों में निवेश का शोधन/देय तारीख से चालू आस्तियों में हिसाब में लिया एवं दिखाया जाता है।

ङ <u>निष्पादित निवेशों का मूल्यांकन</u>

I. <u>इक्विटी एवं इक्कविटी संबद्ध प्रतिभूतियां -</u>

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां

जब किसी प्रतिभूति का किसी शेयर बाज़ार में 30 दिनों (मूल्यांकन तिथि सहित) के भीतर लेनदेन किया जाता है एवं ऐसी अवधि के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक होती हो अथवा लेनदेन की मात्रा रु. 5,00,000 से अधिक हो तो प्रतिभूति को कारोबारी प्रतिभूति कहा जाता है। इनका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसकी अनुपस्थिति में एनएसई का अंतिम बंद मूल्य लिया जाता है।

आ. गैर कारोबारी/कम कारोबारी/असूचीबद्ध प्रतिभूतियां

प्रतिभूतियों में निवेश, जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाज़ार में लेनदेन नहीं किया गया है, का मूल्यांकन उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत हैः

नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र के आधार पर, शुद्ध संपत्ति की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी –

शेयर पूंजी

जोडें – आरक्षित निधि (पुनःमूल्यांकन आरक्षण निधि को शामिल न करते हुए)

घटाएं – विविध व्यय

घटाएं – अमूर्त आस्तियां (अनोद्धृत प्रतिभूतियों के मामले में)

घटाएं – लाभ एवं हानि खाते (ऋण शेष)

परिणामी आंकड़ा, कंपनी की शुद्ध संपत्ति है, जिसे बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित किए जाने पर प्रति शेयर का कुल मूल्य(नेटवर्थ) प्राप्त होता है।

प्रति शेयर अर्जन को बट्टाकृत औद्योगिक पी/ई(लाभ/अर्जन) अनुपात से गुणा करने पर पूंजीकृत अर्जन मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग हेतु औसत पूंजीकरण दर(पी/ई अनुपात) में 75% की छूट दी जाएगी। उपरोक्तानुसार गणना किए गए, प्रति शेयर के कुल मूल्य एवं पूंजी अर्जन मूल्य के अनुसार मूल्य का औसत किया जाएगा तथा नकदी की उपलब्धता हेतु उसमें 10% की और अधिक छूट दी जाएगी ताकि उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। अनोद्धृत इक्विटी शेयरों के मामले में छूट संबंधी घटक, 10% के बजाए 15% होगा।

प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस), के नकारात्मक(-ve) होने की स्थिति में, पूंजीकृत अर्जन का आंकड़ा प्राप्त करने हेतु उक्त वर्ष हेतु मूल्य को शून्य माना जाएगा। वर्ष के समापन से 6 महीनों के अंदर, नवीनतम तुलनपत्र के उपलब्ध न होने की स्थिति में, ऐसी कंपनियों के शेयरों का मूल्य, शून्य माना जाएगा। कंपनी का कुल मूल्य नकारात्मक(-ve) होने पर, शेयर को शून्य पर चिन्हित किया जाएगा।

II. डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट - ऋण प्रतिभूतियां -

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां -

डिबेंचर एवं बॉण्डों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाज़ार दर पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से 15 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है बशर्ते उस प्रतिभूति का मुख्य शेयर बाज़ार अथवा अन्य किसी शेयर बाज़ार में विक्रय योग्य लॉट (वर्तमान में रु. 5 करोड़) में अलग-अलग लेनदेन हुआ हो।

आ. गैर कारोबारी/कम कारोबारी प्रतिभूतियां -

गैर कारोबारी/कम कारोबारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता हैः

i. दर्जाकृत ऋण प्रतिभूतियां -

60 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

60 दिनों से अधिक की अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन क्रिसिल एवं आईसीआरए द्वारा प्रदान की जाने वाली औसतन मूल्यों पर किया जाता है।

60 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

60 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर किया जाता है।

पुट/कॉल ऑप्शन वाली ऋण प्रतिभूतियां

कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नतम कॉल पर किया जाता है और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सबसे अधिक पुट पर किया जाता है। पुट एवं कॉल दोनों ऑप्शन वाली प्रतिभूतियां पुट/कॉल तिथि को परिपक्व हुई समझी जाएंगी एवं तदनुसार मूल्यांकित होंगी।

पूर्णतः/अंशतः/वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरः

डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, जहाँ परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हों, क्रमशः कारोबारी एवं कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटी हेतु लागू बाज़ार के अंतिम मूल्य अथवा उचित मूल्य में से नकदीकरण हेतु 10% बट्टा काट कर किया जाता है।

i. परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय भाग एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की सम्पूर्ण राशि का मूल्यांकन, जहाँ परिवर्तन की शर्तें लागू न हों, पैरा ङ (II) के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ii अदर्जाकृत/गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियां -

अदर्जाकृत/गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य में से 25 प्रतिशत बट्टा काटकर किया जाता है जबकि दीर्घावधि बट्टा वाले बॉण्डों का मूल्यांकन उनके अंतर्निहित लागत में से 25 प्रतिशत बट्टा काट कर किया जाता है।

III <u>अनोद्धृत वारंट</u>

अनोद्धृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बट्टाकृत, यदि कोई हो, अंतर्निहित इक्विटी शेयर के बाज़ार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य घटा दिया जाता है। जिन मामलों में इस प्रकार प्राप्त मूल्य, देय प्रायोगिक मूल्य से अधिक होता है वहाँ वारोटों का मूल्य शून्य लिया जाता है

और जहाँ देय प्रायोगिक मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी, गैर कारोबारी/असूचीबद्ध है तो ऐसे बारंट का मूल्य लागत पर लिया जाता है।

IV <u>अधिकार पात्रता:</u>

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाज़ार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य को घटाकर तथा लाभांश तत्व के लिए बट्टा काट कर, जहाँ लागू हो, किया जाता है।

V <u>मुद्रा बाज़ार की लिखतें:</u>

मुद्रा बाज़ार की लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत तथा मूल्यांकन तिथि तक उपार्जित ब्याज पर किया जाता है।

VI <u>अनोद्धृत/कम कारोबारी अधिमान शेयर:</u>

i. अधिमान शेयरों के दर्जे के अभाव में किसी कंपनी की उपलब्ध ऋण लिखतों के दर्जे प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।

ii. 'अदर्जाकृत' एवं 'निवेश श्रेणी से निम्न' श्रेणी वाले अधिमान शेयरों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर किया जाता है।

iii. संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन, पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्यांकन हेतु लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। यदि परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध न हों तो वे सामान्य अधिमान शेयर माने जाते हैं और तदनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।

iv. अधिमान शेयरों पर 90 दिनों के भीतर लाभांश प्राप्त न होने के मामले में मूल्यांकन हेतु 15% बट्टा लागू किया जाता है। यदि बकाया 1 वर्ष से अधिक तक जारी रहता हो, तब 20% का बट्टा लागू होता है।

v. यदि प्रतिदान राशि 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु 100% प्रावधान बनाया जाता है। यदि प्रतिदान किस्तों में हो और प्रतिफल 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु प्रावधान के अतिरिक्त शेष राशि पर ऊपर दिए गए अनुसार बट्टा लागू होता है।

vi. यदि अधिमान शेयरों के प्रति पहले से ही प्रावधान किया गया हो तथा कंपनी द्वारा जारी कोई अन्य आस्ति गैर निष्पादी हो तो ऐसे अधिमान शेयरों को शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

VII. <u>म्यूचुअल फंड की यूनिटें</u>

म्यूचुअल फंड की सूचीबद्ध एवं कारोबारी यूनिटों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि की अंतिम कारोबारी मूल्य पर किया जाता है। एमएफ की असूचीबद्ध यूनिटें तथा सूचीबद्ध परंतु गैर कारोबारी यूनिटों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को उपलब्ध शुद्ध आस्ति मूल्य(एनएवी) पर किया जाता है।

VIII <u>कार्पोरेट कार्रवाई</u>

कार्पोरेट कार्रवाइयाँ, जैसे विलयन, अविलयन की सूचना मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत की जाती है ताकि उक्त प्रतिभूतियों की लागत की जानकारी प्राप्त की जा सके।

च. प्रावधान एवं मूल्यह्रासः

I. निवेश के मूल्य में मूल्यह्रासः

उपरोक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार गणना किए गए निवेशों के मूल्य के उक्त निवेशों की लागत से तुलना की जाती है, तथा सभी प्रतिभूतियों के मूल्य में परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को पूर्ण रूप से बहियों में उल्लिखित किया जाता है। हालांकि, विवेकी लेखांकन नीति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि को लेखा की बहियों में आय के रूप में नहीं माना जाता है।

II. गैर निष्पादी आस्तियों हेतु प्रावधानः (एनपीए)

i. आस्ति को गैर निष्पादी(एनपीए) वर्गीकृत किए जाने की तिथि से पहले की अवधि के बकाया ब्याज के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी आस्तियां जिनका ब्याज/मूलधन, एक तिमाही अर्थात् 90 दिन अथवा उससे

अधिक दिनों से ऐसी आय/किस्तें देय हों, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज एवं निवेश का प्रावधान आस्ति के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किया जाता है।

ii. एनपीए पर प्रावधान को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है।

iii. देय राशि की प्राप्ति पर उपरोक्त किए गए प्रावधान को चरणबद्ध रीति से पुनरांकित

किया जाता है।

iv. लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है, यदि वह लाभांश-रहित तिथि से 120

दिन से अधिक तक बकाया बना रहे।

छ अंतर योजना कारोबार (आईएसटी)

कारोबारी इक्विटी शेयरः कारोबारी प्रतिभूतियों की आईएसटी, यथा आईएसटी तिथि, अंतर दिन (स्पॉट मूल्य) पर प्रभावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाज़ार मूल्य पर किया जाता है।

ज अभिरक्षक

भारतीय स्टॉक धारिता निगम(एसएचसीआईएल) अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करता है तथा प्रोद्भवन आधार पर उनके शुल्क की गणना की जाती है।

झ अचल आस्तियां

i. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की दशा में, परिणामतः पुनर्मूल्यांकन पर आधिक्य को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यवृद्धि की राशि पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छः माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यह्रास का प्रावधान उल्लिखित से आधे दर पर किया जाता है -

भवन एवं स्वामित्व वाले परिसर	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%
कार्यालय उपकरण, भवन सुधार,	
सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एवं मोटर वाहन	33.33%

पट्टे पर जमीन एवं परिसर का परिशोधन, पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।

iii. ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यह्रास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि 8 वर्ष से अधिक न होने के मामले में, उसे 8 वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और 8 वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।

iv. अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमोदित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यह्रास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।

v. अचल आस्तियों की बिक्री पर, लागत की अवलिखित राशि एवं पुनर्मूल्यांकन पर अचल आस्तियों की मूल्यवृद्धि को घटाने पर प्राप्त लाभ/हानियां, राजस्व लेखे में हिसाब में ली जाती हैं। बेची गई आस्तियों हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में बकाया शेष को सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

ञ **प्रारक्षित निधिः**

पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 25ख(1) के प्रावधानों के अनुसार दो फंड़, अर्थात् आस्ति पुनर्संरचना फंड एवं कर्मचारी कल्याण फंड, जिनका गठन विकास आरक्षित फंड से किया गया था, हालांकि जो एसयूयटीआई का अंश है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 बॉण्ड के लेखों में लिखे जाते हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2022

		रुपए लाख में
	एसयूयूटीआई	
	31.03.2022	31.03.2021
`		
पूंजी ....'क'	-	-
प्रारक्षित निधि और अधिशेष ....'ख'	1,53,574.79	1,67,085.03
वर्तमान देयताएं और प्रावधान ....'ग'	1,99,645.60	1,99,089.68
अन्य फंड का आकार	98,253.73	94,962.09
अन्य फंड की वर्तमान देयताएं और प्रावधान	48,593.23	51,575.96
अन्य फंड...'घ'	1,46,846.96	1,46,538.05
कुल देयताएं	5,00,067.35	5,12,712.76
आस्तियां		
निवेश ....'ङ'	3,03,321.77	3,23,659.71
जमाराशियां ....'च'	11,792.19	24,105.53
चालू आस्तियां ....'छ'	35,836.72	15,902.12
अचल आस्तियां ....'ज'	2,269.71	2,507.35
अन्य फंड की आस्तियां ....'झ'	1,46,846.96	1,46,538.05
कुल आस्तियां	5,00,067.35	5,12,712.76

लेखा टिप्पणियां ...."'ठ'

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.डी. आपटे एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण संख्या 100515W

चेतन सप्रे	सुरोजित सहा	**वसंता गोविंदन**
साझेदार	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
आईसीएआई सदस्यता संख्या 116952		

मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2022

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि हेतु राजस्व लेखा

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
आय		
लाभांश	**1,10,711.07**	**1,49,722.05**
ब्याज	**3,180.46**	**3,360.97**
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ	**3,84,239.78**	**1,56,698.31**
अन्य आय	**1,285.43**	**795.20**
पूर्व अवधि का आय	**169.99**	**(40.37)**
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	**-**	**0.26**
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	**3,639.73**	**166.43**
पुनरांकित प्राप्य हेतु प्रावधान	**(0.19)**	**7.70**
उप योग(क)	**5,03,226.27**	**3,10,710.55**
घटाएं: संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	**49.88**	**38.43**
घटाएं: संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	**2,543.85**	**220.29**
उप योग (ख)	**2,593.73**	**258.72**
योग (क-ख)	**5,00,632.54**	**3,10,451.83**
व्यय		
कार्यालय व्यय	**925.13**	**1,089.16**
प्रचार व्यय	**0.31**	**0.18**
अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	**1,165.79**	**1,160.70**
लेखापरीक्षक का शुल्क	**13.53**	**13.56**
एएमसी का शुल्क	**1,059.70**	**969.17**
स्थाई आस्तियों में मूल्यह्रास	**60.18**	**70.37**
उप योग (क)	**3,224.64**	**3,303.14**
जोड़ेः अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि	710.25	**-**
उप योग (ख)	**710.25**	**-**
योग (क)+(ख)	**3,934.89**	**3,303.14**
व्यय से आय की अधिकता	**4,96,697.65**	**3,07,148.69**
योग	**5,00,632.54**	**3,10,451.83**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि हेतु राजस्व विनियोजन लेखा

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
राजस्व विनियोजन लेखा		
व्यय से आय की अधिकता	4,96,697.65	3,07,148.69
घटाएं : परिपक्वता पर प्रीमियम - मोचन	**(0.33)**	**(0.57)**
योग	**4,96,697.32**	**3,07,148.12**
शेष सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	4,96,697.32	3,07,148.12
योग	**4,96,697.32**	**3,07,148.12**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखा का अभिन्न भाग है।

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते
कृते जी.डी. आपटे एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण संख्या 100515W

चेतन सप्रे	**सुरोजित सहा**	**वसंता गोविंदन**
साझेदार	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
आईसीएआई सदस्यता संख्या 116952		

मुंबई
दिनांकः 25 अप्रैल, 2022

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	31.03.2022	**31.03.2021**
तालिका 'क'		
पूंजी		
बॉण्ड पूंजी	-	-
योग	-	-
तालिका 'ख'		
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष		
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	**(2,79,463.84)**	**(2,79,463.84)**
वर्ष के दौरान संग्रहित(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)	**-**	**-**
योग	**(2,79,463.84)**	**(2,79,463.84)**
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष(पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि)	**1,513.52**	**1,593.17**
घटाएं: स्थाई संपत्तियों पर मूल्यह्रास में अंतरित	**74.01**	**79.66**
घटाएं: सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	**79.75**	**-**
योग	**1,359.76**	**1,513.51**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	31.03.2022	31.03.2021
तालिका 'ख' (जारी.)		
सामान्य प्रारक्षित निधि		
यूनिट पूंजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	4,45,035.36	4,50,373.49
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित	4,96,697.32	3,07,148.12
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अंतरित	79.75	-
भारत सरकार को विप्रेषण	(5,10,133.56)	(3,12,486.25)
उप योग (क)	4,31,678.87	4,45,035.36
कुल योग	1,53,574.79	1,67,085.03
तालिका 'ग'		
चालू देयताएं और प्रावधान		
चालू देयताएं		
विविद लेनदार	33,574.07	27,595.58
भारत सरकार को देय	-	-
संवीक्षाधीन आवेदन राशि	20.46	231.66
अदावी आय/लाभांश वितरण	1,17,998.29	1,19,620.01
योग (क)	1,51,592.82	1,47,447.25
प्रावधान		
संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	810.49	760.60
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	45,967.51	49,607.23
प्राप्य हेतु प्रावधान	1,274.78	1,274.60
योग (ख)	48,052.78	51,642.43
कुल योग (क)+(ख)	1,99,645.60	1,99,089.68

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	31.03.2022	31.03.2021
तालिका घ		
अन्य फंड		
(क)कर्मचारी कल्याण फंड(एसडबल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	53,146.74	50,656.93
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	2,046.59	2,513.66
फंड का उपयोग	26.40	23.85
फंड का आकार - उप योग (क)	55,166.93	53,146.74

चालू देयताएं एवं प्रावधान		
विविध लेनदार	-	-
उप योग (ख)	-	-
कुल योग 'ग' = (क+ख)	**55,166.93**	**53,146.74**
(ख) आस्ति पुनःसंरचना निधि (एआरएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**41,815.35**	**40,437.21**
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	**1,334.69**	**1,436.58**
फंड का उपयोग	**63.24**	**58.45**
भारत सरकार को विप्रेषण	-	-
फंड का आकार - उप योग (क)	**43,086.80**	**41,815.35**
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
विविध लेनदार	**1,777.77**	**1,854.22**
संदिग्ध आय के लिए प्रावधान	**3,711.58**	**3,913.56**
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	**43,103.88**	**45,808.17**
उप योग (ख)	48,593.23	**51,575.96**
कुल योग 'घ' = (क+ख)	**91,680.03**	**93,391.30**
अन्य फंडों का आकार - योग I	**98,253.73**	**94,962.09**
अन्य फंडों की चालू देयताएं और प्रावधान - योग II	**48,593.23**	**51,575.96**
अन्य फंड कुल योग (क+ख)	**1,46,846.96**	**1,46,538.05**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	एसयूयूटीईआई	
	31.03.2022	**31.03.2021**
तालिका 'ङ'		
निवेश		
डिबेंचर एवं बॉण्ड	**0.01**	**0.01**
अधिमान शेयर	**686.79**	**1,089.23**
इक्विटी शेयर	**2,70,236.11**	**2,90,171.61**
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	**32,398.86**	**32,398.86**
योग	**3,03,321.77**	**3,23,659.71**
उद्धृत (लागत पर)	**2,23,441.68**	**2,40,421.88**
अनोद्धृत (लागत पर)	**79,880.10**	**83,237.84**
'क'	**3,03,321.78**	**3,23,659.72**
उद्धृत (बाज़ार मूल्य)	**28,04,557.19**	**28,57,156.92**
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	**2,15,218.98**	**1,82,411.02**
'ख'	**30,19,776.17**	**30,39,567.95**
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यह्रास) **योग ('ख' - 'क')**	**27,16,454.39**	**27,15,908.23**

तालिका 'च'		
जमाराशियां		
बैंक में जमाराशियां	-	-
अन्य जमाराशियां	11,792.19	24,105.53
योग	11,792.19	24,105.53
तालिका 'छ'		
चालू आस्तियां		
बैंकों में चालू खाता शेष	86.37	96.36
विविध देनदार	34,771.07	15,009.49
बकाया और प्रोद्भूत आय	961.44	778.39
अग्रिम, जमाराशियां आदि	17.84	17.88
योग	35,836.72	15,902.12

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी..)

यूएस 64 बॉण्ड

तालिका 'झ'

अचल आस्तियां

(रुपए लाख में)

	लागत पर कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास						शुद्ध ब्लॉक	
	यथा 31 मार्च, 2021	जमा/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	कुल यथा 31.03.2022	यथा 31.मार्च.2021	कटौती/ समायोजन	1.4.21 से 31.03.22 तक लागत पर ह्रास	1.4.21 से 31.03.22 तक पुनर्मूल्यांकित लागत पर ह्रास	कुल मूल्यह्रास 1.4.21 TO 31.03.22	कुल यथा 31.03.2022	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
ज़मीन पूर्ण स्वामित्व	24.04	0.00	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	24.04
भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
स्वामित्व वाले परिसर	8375.58	0.00	381.67	7993.91	5935.48	278.32	45.80	74.01	119.80	5776.96	2216.95	2440.10
कार्यालय उपकरण	80.91	0.00	0.00	80.91	40.77	0.00	13.37	0.00	13.37	54.14	26.77	40.14
कंप्यूटर	5.96	0.00	1.06	4.90	2.89	0.96	1.01	0.00	1.01	2.94	1.96	3.07
योग	8486.49	0.00	382.73	8103.76	5979.14	279.28	60.18	74.01	134.19	5834.05	2269.71	2507.35

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	एसयूयूटीआई	
	31.03.2022	**31.03.2021**
तालिका 'झ'		
अन्य फंडों की आस्तियां		
(क) कर्मचारी कल्याण फंड(एसडबल्यूएफ) की आस्तियां		
इक्विटी शेयर	-	-
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	1,487.81	1,487.81
अन्य जमाराशियां/बैंक में जमाराशियां	52,933.47	41,609.91
लागत पर निवेश उप योग (क)	54,421.28	43,097.72
चालू आस्तियां		
विविध देनदार	745.65	10,049.02
उप योग (ख)	745.65	10,049.02
कुल योग ग = (क+ख)	55,166.93	53,146.74
(ख) आस्ति पुनर्संरचना फंड(एआरएफ) की आस्तियां		
डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-
इक्विटी शेयर	4.21	5.13
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	18,000.00	18,000.00
मियादी ऋण	-	-
अन्य जमाराशियां/बैंक में जमाराशियां	26,491.39	20,676.16
लागत पर निवेश उप योग (क)	44,495.60	38,681.29
चालू आस्तियां		
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	3,711.58	3,913.56
विविध देनदार	43,472.85	50,796.45
उप योग (ख)	47,184.43	54,710.01
कुल योग घ = (क+ख)	91,680.03	93,391.30
अन्य फंडों की आस्तियां कुल योग (ग+घ)	1,46,846.96	1,46,538.05

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

31 मार्च 2022, को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ड"

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 के ज़रिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। ये वित्तीय विवरण, उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में एसयूयूटीआई हेतु बनाए गए हैं।

2. नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान एक्सिस बैंक के शेयरों की बिक्री की गई थी। उक्त शेयरों की बिक्री पर रु. 3830.76 करोड़ की राशि, लाभ के रूप में दर्ज की गई है। उक्त शेयरों की अधिग्रहण लागत को भारित औसत लागत के रूप में माना गया है।

भारत-22 (ईटीएफ) रु करोड़ में

प्रतिभूति	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर, बिक्री की लागत	बिक्री मूल्य रु. करोड़ में	अधिग्रहण लागे	लाभरु. करोड़ में
एक्सिस बैंक	56640162	705.213	3994.34	163.58	3830.76
	56640162	कुल	3994.34	163.58	3830.76

3. अभिरक्षक(एसएचसीआईएल) के साथ हमारी लेखा-बहियों का मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर का पता चला है:-

क्रम सं.	आस्ति वर्ग	अंतर(रु. करोड़ में)	कारण	
1	इक्विटी शेयर	2.16 (लागत)	बहियों में बिक्री की प्रविष्टि परंतु खरीददार के डीमैट खाते अवरुद्ध होने के कारण शेयर जारी नहीं किए गए	
2	अधिमान शेयर	0.05(लागत)	कंपनियां प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित कर रही हैं/ दिवालियापन के अधीन हैं	
3	डिबेंचर एवं बॉण्ड	151.61(अंकित मूल्य)	विवरण	राशि
			देय राशि की वसूली हेतु की गई कानूनी कार्रवाई	92.92
			कंपनी से देय राशि के भुगतान के साक्ष्य के रूप में पुष्टि/पत्र उपलब्ध	0.65
			पुनर्संरचना के कारण प्रतिभूति जारी नहीं की गई	24.67
			रुग्ण/दिवालिया कंपनियां	33.37

4. निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उप धारा(3) के अंतर्गत समय-समय पर विस्तारित गैर-जमानती अग्रिम एवं ऋण।

(ii) इक्विटी एवं ऋण जहाँ कंपनियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में है;

(iii) ऋणों में निवेश, जिनके संदर्भ में प्रतिभूति निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में है।

5. कंपनियां जिसकी अधिकांश धारिताएं एसयूयूटीआई के पास है, निम्नानुसार हैं

कंपनी का नाम	**एसयूयूटीआई धारिता**
यूटीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री सर्विसेज़ लि.	91.44%
एक्सिस बैंक लि.,	1.52%
यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एण्ड सर्विसेज़ लि.	100%

6. एसयूयूटीआई की संपत्ति के प्रबंधन एवं रख-रखाव संबंधी कार्य एवं तत्संबंधी मामलों को यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एण्ड सर्विसेज़ लिमिटेड (कंपनी) को ठेके पर (आउटसोर्स) दे दिया गया है। कंपनी ने 13.09.2021 को कार्य के स्वरूप एवं संबंधित सेवाओं के लिए एसयूयूटीआई के साथ औपचारिक करार किया है जो कि 31 मार्च, 2023 की अवधि तक वैध रहेगा।

क. नागपुर, नासिक, राजकोट, भोपाल, अहमदाबाद, घाटकोपर, मेकर कुंदन गार्डन, बान्द्रा रेक्लमेशन मुंबई, बंजारा हिल्स – हैदराबाद, और गुड़गांव में, एसयूयूटीआई के स्वामित्व/ अधिकार के अंतर्गत स्थितसंपत्तियों की बिक्री/प्रलेखीकरण/ कानून संबंधी कार्य, एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

ख. एसयूयूटीआई ने मेकर कुंदन गार्डन एवं बांद्रा रेक्लमेशन- मुंबई स्थित घरों को विभिन्न संस्थाओं को पट्टे पर दिया है। एक्सिम, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी),भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड(सेबी), यूटीआई एएमसी के साथ औपचारिक करार किए गए हैं।

7. उपभोक्ता अदालत में लंबित रु. 1.91 करोड़ के मामलों लिए आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।

8. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

सुरोजित सहा

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते
जी डी आपटे एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
संस्था पंजीकरण संख्या 100515W

चेतन आर सप्रे
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 116952
मुंबई
दिनांकः 25 अप्रैल, 2022

वसंता गोविंदन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./180/2022-23]

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th July, 2022

Reference:UTI/HD/DOFA/SUUTI-Gazette/2022-23.—The Balance Sheets and Revenue Accounts together with Auditor's Report for various schemes of Administrator of the Specified Undertaking of the Unit Trust of India for the year ended 31st March 2022 are published in terms of Section 21(4) of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Administrator,

Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI)

Report on the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI)**, which comprise the balance sheet as at 31 March 2022, the revenue account for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (hereinafter referred to as 'the Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the SUUTI as at March 31, 2022 and their revenue account for the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial Statements section of our report. We are independent of the SUUTI in accordance with the code of

ethics issued by the institute of chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the SUUTI in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards applicable to Non-Corporate entities issued by Institute of Chartered Accountant of India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (hereinafter referred to as 'the Act') for safeguarding the assets of the SUUTI and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The management is responsible in preparing the financial statements on a going concern basis under the direction of aforesaid Act.

The managements are also responsible for overseeing the SUUTI'S financial reporting process.

Auditor's Responsibility

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's, report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are consider material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. We are also responsible for expressing our opinion on whether the SUUTI has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the SUUTI's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the SUUTI to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required under the Act, we report that:

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) in our opinion proper books of account as required by the Act, have been kept so far as it appears from our examination of those books;

(c) the balance sheet, the revenue account dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

(d) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards applicable to non-corporate entities issued by the Institute of Chartered Accountants of India;

For G. D. Apte & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 100515W

Chetan R. Sapre

Partner

Membership No.: 116952

UDIN : 22116952AHXPXM9835

Place : Mumbai,

Date : April 25, 2022

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Income Recognition:

I. Dividend income is recognized on the following basis:

a. In respect of listed equity shares, dividend income is accrued on the "ex-dividend" date.

b. In respect of unlisted equity shares, dividend income is accrued on date of declaration.

c. In respect of preference shares, dividend income is accrued on the date of receipt.

II. Interest on debenture and other fixed income investments is recognized as income on accrual basis.

III. Profit or loss on sale of investments is recognized on the trade dates on the basis of weighted average cost.

IV. Unit Scheme 1964 Bonds, which owns the fixed assets, recovers service charges on mutually agreed basis approved by the Board of Advisors, from UTI AMC Ltd. For the usage of the said assets.

B. Unit Premium Reserve:

In respect of US64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India, the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are repurchased under the net asset value (NAV) related prices, the discount is credited to unit premium reserve.

C. Expenses:

These are accounted for on accrual basis.

D. Investments

i. Investments are stated at cost or written down cost.

ii. Purchase and Sale of Securities in Secondary market are accounted on trade dates.

iii. The cost of investment includes brokerage, service tax, stamp charges and other taxes.

iv. Subscription in primary market is accounted as Investments, upon allotment.

v. Right entitlements are recognized as Investment on "ex-right" dates.

vi. Bonus entitlements are recognized as Investment on "ex-bonus" dates.

vii. Investments in debenture/bonds, loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.

E. Valuation for Performing Investments

I. Equity and Equity related Securities:

a. Traded Securities

When a security is traded on any stock exchange within a period of 30 days (including the valuation date) and the aggregate volume of trade during such period is more than 50,000 or if the trade value is greater than Rs. 5,00,000 the security is treated as traded security. These are valued at the closing prices on BSE in absence of which closing price of NSE is taken.

b. Non traded/Thinly traded/Unlisted securities

Investments in securities, which have not been traded on any stock exchange in the aforesaid manner, are stated at fair value as detailed below.

Based on the latest available Balance Sheet, net worth shall be calculated as follows:

Share Capital

Plus : Reserves (excluding revaluation reserve)

Less : Miscellaneous expenditure

Less : Intangible Assets (in case of unlisted securities)

Less : P & L Accounts (Debit balance)

The resultant figure is the Net Worth of the Company, which when divided by the number of shares outstanding gives the net worth per share.

Capitalized earning price will be arrived at by multiplying the earnings per share with the discounted industry P/E ratio. Average capitalization rate (P/E ratio) for the industry shall be discounted by 75%. The value as per the net worth value per share and capital earning value calculated as above shall be averaged and further discounted by 10% for illiquidity so as to arrive at the fair value. In case of unlisted equity shares the discount factor will be 15% instead of 10%.

In case, the Earnings per share (DPS) is -ve, EPS value for the year shall be taken as zero for arriving at capitalized earning. In case latest balance sheet is not available within 6 months from the close of the year, the shares of such companies shall be valued to zero. If the net worth of the company is -ve the shares would be marked down to zero.

II. Debentures, bonds, term loans and transferable notes – Debt Securities:

a. Traded Securities:

Investment in debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and in its absence, at the latest quote available during a period of fifteen days prior to the valuation date provided there is an individual trade in that security in marketable lot (presently Rs. 5 Crore) on the Principal Stock Exchange or any other Stock Exchange.

b. Non-traded/Thinly traded securities:

Investment in non traded/thinly traded securities is valued as under :

i) Rated Debt Securities:

Debt securities with residual maturity of greater than 60 days:

Investment in securities with residual maturity period of greater than 60 days are valued at the average of prices provided by CRISIL and ICRA.

Debt securities with residual maturity of up to 60 days:

Investment in debt securities with residual maturity of up to 60 days are valued as on the valuation date on the basis of amortization.

Debt security with put/call options:

Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

Fully / Partly / Optionally Fully Convertible Debentures:

i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly/non traded equity respectively less a discount of 10% towards liquidity.

ii. Non Convertible portion of Convertible debentures and the entire amount of convertible debentures where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para E(II)

ii) Unrated / Non Investment grade Debt Securities:

Investments in unrated/non investment grade debt securities are valued at a discount of 25 percent to face value while deep discount bonds are valued at a discount of 25 percent to carrying cost.

III. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

IV. Rights entitlements:

Rights entitlements for the shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, whenever applicable.

V. Money Market Instruments:

Investments in Money Market Instruments are valued at cost plus accrued interest up to the valuation date.

VI. Unquoted / thinly traded Preference shares"

i. In the absence of rating for Preference share, the ratings available for the debt instruments of a company is used for valuation.

ii. 'Unrated' and 'Below investment grade', preference shares are valued at a discount of 25% to the face value.

iii. The cumulative convertible preference shares are valued as per the norms applicable for valuation of fully convertible debentures. If the details of conversion are not available, they are considered as ordinary preference shares and are valued accordingly.

iv. In case, dividend on preference is not received within 90 days, a discount of 15% is applied in the valuation. If the arrears continue for more than 1 year, the discount applied is 20%/

v. If the redemption value is not received within 90 days, 100% provision of the redemption receivable is made. If the redemption is in parts and proceeds are not received within 90 days, in addition to the provision for redemption receivable, the discount as given above is applied on the balance.

vi. If there exists provision against a preference share and any other asset issued by the company is NPA such preference shares are valued at zero.

VII. Mutual Fund Units:

Mutual Fund Units listed and traded are valued at the closing traded price as on the valuation date. Unlisted MF Units and listed but not traded MF Units are valued at the Net Asset Value (NAV) as on the valuation date.

VIII. Corporate Action:

Corporate actions such as merger, demerger are referred to the Valuation Committee to discover the prices of such securities.

F. Depreciation and Provision:

I. Depreciation in the value of investments:

The value of investments as computed in accordance with norms above is compared to the cost of such investments and the resultant depreciation in the value of all securities, if any, is fully provided in the books. However, considering the prudent accounting policy, the appreciation in the value of securities is not considered as income in the books of accounts.

II. Provisions for non performing asset: (NPA)

i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non-performing (NPA). An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not been received or remained outstanding for one quarter, i.e. 90 days or more from the day such income/installment has fallen due. The interest and investment provision is made from the date the asset is classified as NPA.

ii. Provision for NPA is charged to Revenue Account.

iii. Provision made as above is written back on receipt of dues, in phased manner.

iv. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

G. Inter scheme transactions (ISTs):

Traded equity shares : ISTs of traded securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.

H. Custodian:

Stock Holding Corporation of India (SHCIL) provides custodial services and their fees are accounted for on accrual basis.

I. Fixed Assets:

i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. In the event of revaluation, the resultant surplus on revaluation is shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.

ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements,	
Software, computers & Motor Vehicles	33.33%

Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.

iii. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.

iv. Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to us.

v. On sale of Fixed Assets, the profit/loss arrived at after reducing the written down value of cost and appreciation of fixed asset on revaluation has been accounted in the Revenue account. The balance outstanding in revaluation reserve for assets sold has been transferred to General Reserve.

J. Reserve Funds:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the erstwhile Unit Trust of India Act, 1963, the two Funds namely Asset Reconstruction Fund and Staff Welfare Fund, established through contribution from the Development Reserve Fund, though belonging to the SUUTI, are accounted under the Unit Scheme 1964 Bonds as a matter of administrative convenience.

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2022	**31.03.2021**
`		
CAPITAL.....'A'	**-**	**-**
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	**1,53,574.79**	**1,67,085.03**
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS....'C'	**1,99,645.60**	**1,99,089.68**
SIZE OF OTHER FUNDS	**98,253.73**	**94,962.09**
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF OTHER FUNDS	**48,593.23**	**51,575.96**
OTHER FUNDS.....'D'	**1,46,846.96**	**1,46,538.05**
TOTAL LIABILITIES	**5,00,067.35**	**5,12,712.76**
ASSETS		
INVESTMENTS.....'E'	**3,03,321.77**	**3,23,659.71**
DEPOSITS .....'F'	**11,792.19**	**24,105.53**
CURRENT ASSETS.....'G'	**35,836.72**	**15,902.12**
FIXED ASSETS.....'H'	**2,269.71**	**2,507.35**
ASSETS OF OTHER FUNDS.....'I'	**1,46,846.96**	**1,46,538.05**
TOTAL ASSETS	**5,00,067.35**	**5,12,712.76**

NOTES TO ACCOUNTS.....'M'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
For and on behalf of
G. D. APTE & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100515W

CHETAN SAPRE	**SUROJIT SAHA**	**VASANTHA GOVINDAN**
Partner	**Chief Finance Officer**	**Chief Executive Officer**
ICAI Membership No. 116952		

Mumbai
Dated : 25th April, 2022

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2021 TO 31ST MARCH, 2022

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	CURRENT YEAR	**PREVIOUS YEAR**
INCOME		
DIVIDEND	**1,10,711.07**	**1,49,722.05**
INTEREST	**3,180.46**	**3,360.97**
PROFIT ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	**3,84,239.78**	**1,56,698.31**
OTHER INCOME	**1,285.43**	**795.20**

PRIOR PERIOD INCOME	**169.99**	**(40.37)**
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	**-**	**0.26**
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT& DEPOSITS WRITTEN BACK	**3,639.73**	**166.43**
PROVISION FOR RECEIVABLES WRITTEN BACK	**(0.19)**	**7.70**
SUB TOTAL (A)	**5,03,226.27**	**3,10,710.55**
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	**49.88**	**38.43**
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT& DEPOSITS	**2,543.85**	**220.29**
SUB TOTAL (B)	**2,593.73**	**258.72**
TOTAL (A-B)	**5,00,632.54**	**3,10,451.83**
EXPENDITURE		
OFFICE EXPENSES	**925.13**	**1,089.16**
PUBLICITY EXPENSES	**0.31**	**0.18**
CUSTODIAL,REGISTRAR & BANK CHGS	**1,165.79**	**1,160.70**
AUDITORS' FEES	**13.53**	**13.56**
AMC FEES	**1,059.70**	**969.17**
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	**60.18**	**70.37**
SUB TOTAL (A)	**3,224.64**	**3,303.14**
ADD: LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	710.25	**-**
SUB TOTAL (B)	**710.25**	**-**
TOTAL (A)+(B)	**3,934.89**	**3,303.14**
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	**4,96,697.65**	**3,07,148.69**
TOTAL	**5,00,632.54**	**3,10,451.83**

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2021 TO 31ST MARCH, 2022

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	CURRENT YEAR	**PREVIOUS YEAR**
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,96,697.65	3,07,148.69
LESS : PREMIUM ON MATURITY - REDEMPTION	**(0.33)**	**(0.57)**
TOTAL	**4,96,697.32**	**3,07,148.12**
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	4,96,697.32	3,07,148.12
TOTAL	**4,96,697.32**	**3,07,148.12**

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

G. D. APTE & CO.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 100515W

CHETAN SAPRE — **Partner** — **ICAI Membership No. 116952**

SUROJIT SAHA — **Chief Finance Officer**

VASANTHA GOVINDAN — **Chief Executive Officer**

Mumbai

Dated : 25th April, 2022

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2022	**31.03.2021**
SCHEDULE 'A'		
CAPITAL		
BOND CAPITAL	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 'B'		
RESERVES AND SURPLUS		
UNIT PREMIUM RESERVE		
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	**(2,79,463.84)**	**(2,79,463.84)**
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	-	-
TOTAL	**(2,79,463.84)**	**(2,79,463.84)**
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE		
BALANCE AS PER LAST B.SHEET(REVALUATION RESERVE)	**1,513.52**	**1,593.17**
LESS: TRANSFERRED TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	**74.01**	**79.66**
LESS: TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	**79.75**	-
TOTAL	**1,359.76**	**1,513.51**

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2022	**31.03.2021**
SCHEDULE 'B' (Contd.)		
GENERAL RESERVE		
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	**4,45,035.36**	**4,50,373.49**
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	**4,96,697.32**	**3,07,148.12**
TRANSFERRED FROM FIXED ASSET REVALUATION RESERVE	**79.75**	-
REMITTANCE TO GOI	**(5,10,133.56)**	**(3,12,486.25)**
SUB TOTAL (a)	**4,31,678.87**	**4,45,035.36**
GRAND TOTAL	**1,53,574.79**	**1,67,085.03**
SCHEDULE 'C'		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CURRENT LIABILITIES		
SUNDRY CREDITORS	**33,574.07**	**27,595.58**
PAYABLE TO GOI	-	-
APPLICATION MONEY PENDING	**20.46**	**231.66**
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION	**1,17,998.29**	**1,19,620.01**
TOTAL (A)	**1,51,592.82**	**1,47,447.25**
PROVISIONS		
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	**810.49**	**760.60**
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	**45,967.51**	**49,607.23**
PROVISION FOR RECEIVABLES	**1,274.78**	**1,274.60**
TOTAL (B)	**48,052.78**	**51,642.43**

TOTAL (A)+(B)	**1,99,645.60**	**1,99,089.68**

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2022	**31.03.2021**
SCHEDULE 'D'		
OTHER FUNDS		
(A)STAFF WELFARE FUND (SWF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	**53,146.74**	**50,656.93**
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	**2,046.59**	**2,513.66**
UTILISATION OF FUND	**26.40**	**23.85**
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	**55,166.93**	**53,146.74**
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	**-**	**-**
SUB TOTAL (b)	**-**	**-**
TOTAL 'A' = (a+b)	**55,166.93**	**53,146.74**
(B) ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	**41,815.35**	**40,437.21**
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	**1,334.69**	**1,436.58**
UTILISATION OF FUND	**63.24**	**58.45**
REMITTANCE TO GOI	**-**	**-**
SIZE OF THE FUND -SUB TOTAL (a)	**43,086.80**	**41,815.35**
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	**1,777.77**	**1,854.22**
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	**3,711.58**	**3,913.56**
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	**43,103.88**	**45,808.17**
SUB TOTAL (b)	48,593.23	**51,575.96**
TOTAL 'B' = (a+b)	**91,680.03**	**93,391.30**
SIZE OF OTHER FUNDS - TOTAL I	**98,253.73**	**94,962.09**
CURRENT LIAB. & PROVN. OF OTHER FUNDS-TOTAL II	**48,593.23**	**51,575.96**
OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	**1,46,846.96**	**1,46,538.05**

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

		SUUTI	
		31.03.2022	**31.03.2021**
SCHEDULE 'E'			
INVESTMENTS			
DEBENTURES AND BONDS		**0.01**	**0.01**
PREFERENCE SHARES		**686.79**	**1,089.23**
EQUITY SHARES		**2,70,236.11**	**2,90,171.61**
MUTUAL FUND UNITS		**32,398.86**	**32,398.86**
TOTAL		**3,03,321.77**	**3,23,659.71**
QUOTED (AT COST)		**2,23,441.68**	**2,40,421.88**
UNQUOTED (AT COST)		**79,880.10**	**83,237.84**
	'A'	**3,03,321.78**	**3,23,659.72**
QUOTED (MARKET VALUE)		**28,04,557.19**	**28,57,156.92**
UNQUOTED (AT VALUATION)		**2,15,218.98**	**1,82,411.02**

'B'	**30,19,776.17**	**30,39,567.95**
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT		
TOTAL ('B' - 'A')	**27,16,454.39**	**27,15,908.23**
SCHEDULE 'F'		
DEPOSITS		
DEPOSITS WITH BANKS	-	-
OTHER DEPOSITS	**11,792.19**	**24,105.53**
TOTAL	**11,792.19**	**24,105.53**
SCHEDULE 'G'		
CURRENT ASSETS		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	**86.37**	**96.36**
SUNDRY DEBTORS	**34,771.07**	**15,009.49**
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	**961.44**	**778.39**
ADVANCES,DEPOSITS ETC	**17.84**	**17.88**
TOTAL	**35,836.72**	**15,902.12**

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (CONTD.....)

U S 64 BONDS
SCHEDULE ' H '
FIXED ASSETS

(RUPEES IN LAKHS)

	GROSS BLOCK AT COST				DEPRECIATION						NET BLOCK	
	AS ON 31ST MARCH, 2021	ADDITIONS/ ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	TOTAL AS ON 31.03.2022	AS ON 31ST MARCH, 2021	DEDUCTIONS/ ADJUSTMENTS	DEP. ON COST FOR 1.4.21 to 31.03.2022	DEPRE ON REVALUED COST TRF FROM REVAL RESERVE (01.04.21 TO 31.03.22)	TOTAL DEPRE 1.4.21 TO 31.03.22	TOTAL AS ON 31.03.2022	AS ON 31ST MARCH, 2022	AS ON 31ST MARCH, 2021
LAND (FREEHOLD)	24.04	0.00	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	24.04
BUILDINGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
OWNERSHIP PREMISES	8375.58	0.00	381.67	7993.91	5935.48	278.32	45.80	74.01	119.80	5776.96	2216.95	2440.10
OFFICE EQUIPMENTS	80.91	0.00	0.00	80.91	40.77	0.00	13.37	0.00	13.37	54.14	26.77	40.14
COMPUTERS	5.96	0.00	1.06	4.90	2.89	0.96	1.01	0.00	1.01	2.94	1.96	3.07
TOTAL	8486.49	0.00	382.73	8103.76	5979.14	279.28	60.18	74.01	134.19	5834.05	2269.71	2507.35

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022(CONTD.)

Rupees in Lakhs

	SUUTI	
	31.03.2022	**31.03.2021**
SCHEDULE 'I'		
ASSETS OF OTHER FUNDS		
(A) ASSETS OF STAFF WELFARE FUND (SWF)		
EQUITY SHARES	-	-
MUTUAL FUND UNITS	**1,487.81**	**1,487.81**
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	**52,933.47**	**41,609.91**
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	**54,421.28**	**43,097.72**
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS	**745.65**	**10,049.02**
SUB TOTAL (b)	**745.65**	**10,049.02**
TOTAL A = (a+b)	**55,166.93**	**53,146.74**
(B) ASSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
DEBENTURES AND BONDS	-	-

EQUITY SHARES	**4.21**	**5.13**
MUTUAL FUND UNITS	**18,000.00**	**18,000.00**
TERM LOANS	-	-
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	**26,491.39**	**20,676.16**
INVESTMENT AT COST SUB TOTAL (a)	**44,495.60**	**38,681.29**
CURRENT ASSETS		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	**3,711.58**	**3,913.56**
SUNDRY DEBTORS	**43,472.85**	**50,796.45**
SUB TOTAL (b)	**47,184.43**	**54,710.01**
TOTAL B = (a+b)	**91,680.03**	**93,391.30**
ASSETS OF OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	**1,46,846.96**	**1,46,538.05**

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

Schedule "M"

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. These financial statements are drawn up for SUUTI, pursuant to the said Repeal Act.

2. During the year the equity shares of Axis Bank were sold as per the details given below. An amount of Rs. 3830.76 crore has been booked as profit on sale of these shares. The acquisition cost of these equity shares have been taken as weightage average cost.

BHARAT-22 (ETF) Rs. In crores

Security	No. of shares	Selling price	Sale value	Cost price	Profit
Axis Bank	56640162	705.213	3994.34	163.58	3830.76
	56640162	TOTAL	3994.34	163.58	3830.76

3. The reconciliation of our Books of Accounts with the custodian (SHCIL) has revealed the following differences:-

Sr. No.	Asset class	Difference (Rs. In crores)	Reason
1.	Equity Shares	2.16 (cost)	Sale effected in books but shares not released as buyer's demat accounts are blocked
2.	Preference Shares	0.05 (cost)	Companies are not responding/are under liquidation
3.	Debentures and Bonds	151.61 (Face Value)	

Details	Amount
Legal action taken for recovery of dues	92.92
Confirmation/letter evidencing servicing of dues from Company available	0.65
Security not issued subsequent to restructuring	24.67
Sick/Liquidated companies	33.37

4. Investments include:

   i) Unsecured advances and loans extended from time to time as provided under sub section (3) of section 19 of the erstwhile UTI Act 1963;

   ii) Equities and debts where the certificates are yet to be issued by the companies;

   iii) Debt exposure in respect of which security creation is in process.

5. Following are the companies where SUUTI has substantial holding.

Name of the Company	% holding of SUUTI
UTI Investment Advisory Serviced Ltd.	91.44%
Axis Bank Ltd.	1.52%
UTI Infrastructure Technology and Services Ltd.	100%

6. The work relating to management and maintenance of property belonging to SUUTI and related matters has been outsourced to UTI Infrastructure Technology and Services Limited (Company). The company has entered into formal agreement with SUUTI on 13-09-2021 relating to the scope of work and related service, which is valid up to 31st March, 2023.

   a. The work relating to sale/documentation/legal cases for properties situated at Nagpur, Nashik, Rajkot, Bhopal, Ahmedabad, Ghatkopar, Maker Kundan Garden, Bandra Reclamation Mumbai, Banjara Hills – Hyderabad and Gurgaon under the ownership/possession of SUUTI is a continuous process and is being carried out.

   b. SUUTI has given the flats at Maker Kundan Garden and Bandra Reclamation – Mumbai on Leave and License to various Organisations. Formal agreement has been entered with EXIM, LIC, SEBI and UTI AMC.

7. Contingent liability not provided for cases pending with Consumer Forum amounts to Rs. 1.91 crore.

8. The previous year figures are regrouped/reclassified wherever necessary.

SUROJIT SAHA

Chief Finance Officer

For and on behalf of
G.D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Registration No. 100515W

CHETAN R. SAPRE
Partner
ICAI Membership No. 116952
MUMBAI
DATED: 25th April, 2022

VASANTHA GOVINDAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./180/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.